संख्या-14/2019/क0नि0-4-695/11-2019-300(36)/2019

प्रेषक,

नीरजा कुरील,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कमिश्नर,
वाणिज्य कर,
उ0प्र0 लखनऊ।

कर एवं निबंधन अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांकः 20 अगस्त, 2019**

विषयः- वाणिज्य कर कार्यालय भवन, गोण्डा के ब्लाक-'ए' एवं 'बी' के टूटे-फूटे दीवारों/भवनों की मरम्मत कार्य, पेंटिंग, रूफ ट्रीटमेंट, सेनेटरी वर्क आदि का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-स0नि0-15-अयोध्या(गोण्डा)/मरम्मत/अनुरक्षण/2019-20/231/वाणिज्य कर दिनांक 04.07.2019 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में वाणिज्य कर विभाग के विभागीय भवन तथा सहायता केन्द्रों के विभागीय भवनों की मरम्मत एवं रखरखाव कार्य-29-अनुरक्षण की मद में प्राविधानित धनराशि रू0-10.00 करोड़ में से वाणिज्य कर कार्यालय भवन, गोण्डा के ब्लाक-'ए' एवं 'बी' के टूटे-फूटे दीवारों/भवनों की मरम्मत कार्य, पेंटिंग, रूफ ट्रीटमेंट, सेनेटरी वर्क आदि कार्य कराये जाने हेतु कार्यदायी संस्था यू0पी0 स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0, गोण्डा द्वारा आगणित धनराशि रु0-52.93 लाख (रुपया बावन लाख तिरानवे हजार मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं : -

(1) आहरित धनराशि बैंक/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में जमा नहीं की जायेगी।

(2) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/ दस-2019-231/2019 दिनांक 22.03.2019 में वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) निर्माण के समय कार्य की विशिष्टियाँ, मानक गुणवत्ता एवं समयबद्धता सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था/आयुक्त, वाणिज्य कर का होगा।

(4) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है, उसी कार्य/मद पर व्यय किया जायेगा।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-89 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-2059-लोक निर्माण कार्य-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-03 वाणिज्य कर विभाग के विभागीय भवन तथा सहायता केन्द्रों के विभागीय भवनों की मरम्मत एवं रखरखाव कार्य-29-अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।

भवदीया,

(नीरजा कुरील)
संयुक्त सचिव।

-----2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-14/क0नि0-4-695(1)/11-2019, तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. एडीश्नल कमिश्नर (लेखा), वाणिज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ, उ0प्र0।
5. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, अयोध्या/गोण्डा, उ0प्र0।
6. अधिशासी अभियन्ता, यू0पी0 स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रा0 डेवलपमेंट कार्पो0 लि0, गोण्डा।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(नीरजा कुरील)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।